**Disaster Management (Amendment) Bill, 2024 (Introduced)**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) :** माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री अमित शाह जी की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

**:** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

?कि आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।?

**SHRI MANISH TEWARI (CHANDIGARH):** Thank you very much, Mr. Speaker, Sir.

Mr. Speaker, Sir, I was compelled to invoke Rule 72(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha because there is no rule which pertains to seeking a clarification with regard to the constitutionality of a proposed legislation.

Mr. Speaker, Sir, if you would take the Article 246, 7th Schedule, and Lists I, II and II of the Constitution of India into consideration, you would find that in the List I, there are 97 entries, and in the List II, there are 47 entries. None of these entries pertain to this subject of disaster management. There are two entries in the State List ? Entry 1 and Entry 6 ? which pertain to public order and public health, and which can be invoked by the State Governments in order to enact State disaster management legislations. It is quite possible that the Government may have drawn power from Entry 23 and Entry 29 of the Concurrent List when they proposed this amendment legislation, or, when even the original legislation was passed by this House in the December of 2005.

**12.11 hrs**

(Shrimati Sandhya Ray *in the Chair*)

Madam Chairperson, my submission is that the Government needs to amend the Concurrent List and have a proper entry which covers the subject of disaster management in toto. The reason why I say this is because when a disaster takes place, अगर कोई प्राकृतिक आपदा होती है, चाहे वह कुदरती आपदा हो या किसी मानवीय कारण से हो, तो उसके जो फर्स्ट रस्पॉन्डर्स हैं, वे फर्स्ट रस्पॉन्डर्स यूजयुअली लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं। इसलिए, यह बहुत जरूरी है, क्योंकि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जो क्लाइमेट में बदलाव आ रहा है, एग्रिवेटिड नैचुरल डिज़ास्टर्स बहुत ज्यादा होने शुरू हो गए हैं। जो भी कानून इसके लिए बने, उसकी जो लेजिस्लेटिव पावर है, उसकी लेजिस्लेटिव पावर ठीक तरह से डिफाइन हो। क्योंकि, जब डिराइव्ड लेजिस्लेटिव पावर होती है, आप किसी ऐसी एंट्री से लेजिस्लेटिव पावर लेने की कोशिश करते हैं, that legislation may not stand the test of the constitutionality. That is my first point.

Madam, I have two more points to make which are very important.

The second reason why I am opposing this Bill is that this legislation, like many legislations introduced by this

Government, suffers from the malady of excessive delegation. That is, the rule-making power, which has been given to the Central Government, encroaches upon the domain of the State Governments squarely.

Madam Chairperson, I have a last point to make. This is an important constitutional point because this House is the creator of the Constitution, and whatever laws that we make, have to be in accordance with those constitutional provisions. That is why, I am making this point.

Madam Chairperson, the third point which I seek to make is this.

**:** माननीय सदस्य, मैं आपसे आग्रह कर रही हूं कि जब इस बिल पर चर्चा होगी, तब आप विस्तार से बात कीजिएगा।

? (व्यवधान)

**मनीश तिवारी :** मैडम, मैं बिल पर चर्चा कर ही नहीं रहा हूं। मैं तो इसकी कॉन्सिटीटियूशनैलिटी पर चर्चा कर रहा हूं। इस संशोधन बिल को लाने के लिए यह सरकार लेजिस्लेटिव पावर कहां से डिराइव कर रही है, मैं उसके ऊपर चर्चा कर रहा हूं। ? (व्यवधान) मैं मेरिट्स पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। ? (व्यवधान) मैं आपसे सिर्फ एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। ? (व्यवधान)

There is a Clause 23 in this Bill which introduces Section 41(a). It says that every State Government will have the powers to allow its municipal corporations to make disaster management plans except the National Capital Territory of Delhi and Chandigarh. Why is it so? This is a direct assault on federalism and goes against the basic principles of federalism. So, I oppose this Bill and I would demand that the Government gives a clarification from where does it draw the Constitutional powers to enact it. ? (*Interruptions*)

**PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM):** Madam, under Rule 72(1) of the Rules of Procedure, I oppose the introduction of the Disaster Management (Amendment) Bill, 2024. It is good that the Home Minister has not at least given a Hindi name to the law; otherwise, he is giving Hindi names to every law. He has saved us. We are Bengalis. We do not understand Hindi.

My point is that this Bill has become very relevant in the context of the tragedy at Wayanad in Kerala and we find that already due to multiplicity of authority, there is a conflict between the Kerala Chief Minister and the Union Minister. Kerala Chief Minister said that he did not receive due warning. The Union Government is saying that it gave the warning. My objection is this. It has been stated in my Statement. This creates again more authorities. It is creating an Urban Disaster Management Authority. It is also creating a State Disaster Response Force by the State Government. The whole problem is that the multiplicity of authorities will give rise to confusion and bureaucratic muddles at the time of natural disaster. ? (*Interruptions*)

**:** मैं माननीय सदस्यों से आग्रह कर रही हूँ कि बिल में इस विषय पर चर्चा होगी। उस समय आप विस्तार से बात कर

सकते हैं।

. **:** महोदया, आप बहुत अच्छी हैं, आप भी आज सवाल पूछिएगा। आप मुझे थोड़ा मौका दीजिए।

**:** दादा, कृपया अपनी बात पूरी कीजिए।

**PROF. SOUGATA RAY:** I oppose this because so many new authorities are being created. I do not want these bureaucratic muddles to hamper relief and rescue work at the time of national disaster.

**12.17 hrs**

(Hon. Speaker *in the Chair*)

**:** महोदय, क्या जवाब नहीं देना है?? (व्यवधान)

**:** आपको बोलना है तो बोलें, नहीं तो बिल के समय बोल लेना।

? (व्यवधान)

**:** महोदय, उस समय बोलेंगे, लेकिन उन्होंने जिस नियम की चर्चा की है, उस पर हम स्पष्ट रूप से उनको कहना चाहेंगे कि मूल आपदा प्रबंधन अधिनियम, जो माननीय सदस्य मनीष तिवारी जी बता रहे थे, वर्ष 2005 की समवर्ती सूची में, 7वीं अनुसूची की सूची तीसरी की प्रविष्टि 23 के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है और यह 19 वर्षों से अधिक समय से संवैधानिकता की कसौटी पर खरा उतरा है।? (व्यवधान) इसलिए कहीं भी? (व्यवधान) यह मैं पढ़ रहा हूँ।? (व्यवधान) मैं उसी को आगे पढ़ रहा हूँ।? (व्यवधान) प्रस्तावित आपदा प्रबंधन विधेयक, 2024 संविधान के मूल स्रोत यानी सप्तमी अनुसूची की तीन की प्रविष्टि 23, जिसकी वे चर्चा कर रहे थे, के अंतर्गत आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया गया है, में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं करता है।

महोदय, यह है और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि जो माननीय सौगत राय साहब ने कहा है और मनीष जी ने भी कहा है, कहीं भी ऐसा हस्तक्षेप नहीं है। आपदा का प्रबंधन प्रथम दायित्व राज्य का बनता है। जो इसमें विषय लाये गए हैं।? (व्यवधान) इसलिए बना रहे हैं ताकि आपदा का प्रबंधन ठीक से हो और बनाने का कारण भी है कि वर्ष 2011 में एक टास्ट फोर्स बनायी गई थी। यह क्यों बनाई गई थी? यह इसलिए बनाई गई थी कि आपदा प्रबंधन में जो चिंताएँ आ रही थी और जो उसकी सीमाएं थीं, उसको ध्यान में रखते हुए यह टास्क फोर्स बनाई गई थी। वर्ष 2011 में बनी टास्ट फोर्स ने वर्ष 2013 में अपनी रिपोर्ट सब्मिट की। रिपोर्ट सब्मिट होने के बाद उसे सरकार ने सभी राज्यों को, यूटी समेत तथा विभिन्न केंद्र सरकार के मंत्रालयों को एवं आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी विशेषज्ञों को परामर्श के लिए भेजा गया।

अध्यक्ष जी, जब सबके परामर्श, विचार आए, तब उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक, 2024 को सदन में पेश करने का निर्णय लिया गया है। जब चर्चा होगी और पारित करने के दौरान एक-एक प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा कि यह विधेयक क्यों लाया गया है, क्यों जरूरी है। यदि उनकी कोई शंका होगी, तो उसका समाधान किया जाएगा। यदि उनका कोई उचित सुझाव होगा, तो उस पर भी विचार किया जाएगा।

**मनीश तिवारी :** अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से एक बात कहना चाहता हूं। एंट्री 23 जिसका माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया है, जिसके

तहत यह संशोधित विधेयक लाया गया है, वह क्या कहता है? सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल इंश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट कहां लिखा है? यह बिल लाने के लिए आपकी लेजिस्लेटिव कम्पिटेंस कहां है? सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल इंश्योरेंस, रोजगार और बेरोजगार में डिजास्टर मैनेजमेंट कहां से आ गया? सोशल सिक्योरिटी डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं है।

**:** सोशल सिक्योरिटी डिजास्टर मैनेजमेंट का हिस्सा है।

**:** माननीय मनीश जी, आप इस संशोधन विधेयक को ठीक से पढ़ें, तब उसका भाव और उसका आगे आने वाला असर दिखाई देगा। आपदा के कारण किसे क्षति होती है? आपदा के कारण मानव को क्षति होती है। आपदा के कारण समाज की क्षति होती है। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है, इसलिए यह विधेयक लाए हैं।

**:** प्रश्न यह है :

?कि आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।?

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

**:** अध्यक्ष जी, मैं विधेयक को पुर:स्थापित* करता हूं।

_____

**<u>12.22 hrs</u>**